I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 22/11/2021 20:51 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Monday Date from (दिनांक से): 22/11/2021 Date To (दिनांक तक): 22/11/2021

Time Period (समय अवधि): Pahar 6 Time From (समय से): 16:40 hrs Time To (समय तक): 16:40 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/11/2021 Time (समय): 20:25 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019 Date and Time (दिनांक और समय): 22/11/2021 20:34 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 35 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): लघु सचिवालय झज्जर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुरेन्द्र

(b) Father's Name (पिताका नाम): भीम सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1986 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	खरखौदा, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	खरखौदा, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9050954463

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	संजय थानेदार			1. थाना रेलवे बहादुरगढ,LINE PAR BAHADURGARH,JHAJJAR,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, इन्सपैक्टर,स्टेट विजीलैंन्स ब्यूरो रोहतक। विष्य भ्रष्ट लोकसेवक पर रैड की कार्यवाही करने बारे। श्री मान जी, निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र पुत्र श्री भीम सिंह निवासी गांव खरखौदा जिला सोनीपत का रहने वाला हुँ तथा ड्राईवरी करता हुँ मारुति ईको गाडी न0 एच आर-ए.एफ 1175 का मालिक सुमित शर्मा निवासी मनौली जिला सोनीपत का रहने वाला है। और मैं उक्त गाडी पर ड्राईवरी करता हुँ लगभग दिनांक 01.07.2021 को रात के समय में व मेरा साथी कृष्ण कुमार पुत्र श्री धर्मबीर निवासी गॉव खाण्डा तहसील खरखौदा जिला सोनीपत बहादुरगढ से खरखौदा उक्त मारुती ईको गाडी में आ रहे थे रास्ते में बराही फाटक पर हमारी रेलवे गार्ड के साथ तु तु मै मै हो गई और उक्त गार्ड ने हमारे खिलाफ रेलवे थाना बहादुरगढ में मुकदमा न0 18 दिनांक 2.7.2021 दर्ज करवा दिया उस मुकदमें का आई0ओ0 संजय थानेदार है। उक्त थानेदार संजय द्वारा मेरे साथी कृष्ण को इस मुकदमे से निकालने व मुझे जमानत पर छोडने के लिए 10000/- रुपये की मांग की गई थी। जिसमें से मेरे साथी कृष्ण द्वारा उक्त संजय थानेदार को 4000/- रुपये पहले ही दिए जा चुके है तथा बाद में हुए सौदे अनुसार बाकी के 5000/- रुपये मेरे साथी कृष्ण द्वारा आज दिए जाने है। रिश्वत के लेन-देने के सम्बंध में मेरे साथी कृष्ण के मोबाईल फोन नम्वर 09466425771 से उक्त थानेदार संजय के मोबाईल फोन न 9812278454 पर लगभग दिनांक 30.09.2021 को समय लगभग 01 बजे 0.1 बजे दिन हुई बातचीत से सम्बंधित 01 आंडियो रिकाडिंग मैने आपको Sandisk Cruzer Blade 16 GB की लाल रंग की पैन ड्राईव में डलवाकर प्रस्तुत कर दी है। जो मैं आज उक्त संजय थानेदार को रिश्वत की राशि नही देना चाहता। उक्त संजय थानेदार के विरुध कानूनी कार्यावही की जाए निवेदक हस्ता अंग्रेजी Surender सुरेन्द्र पुत्र भीम सिंह निवासी गांव खरखौदा जिला सोनीपत 9050954463 कार्यवाही पुलिस:- आज मैं मन निरीक्षक राकेश कुमार, मुख्य सिपाही नरेश कुमार बैल्ट नं0 2507/फरीदाबाद, मुख्य सिपाही सत्यवान सिंह नं0 645/GRP सिपाही अनील कुमार, बैल्ट नं0 571/झज्जर, के बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR 03Z-5413 चालक सिपाही अशोक कुमार, बैल्ट नं0 759/भिवानी के बराये कार सरकार लघु सचिवालय झज्जर मौजूद हुँ। की मुदई सुरेन्द्र S/O भीम सिंह गांव खरखौदा जिला सोनीपत नें बयमय साथी कृष्ण कुमार पुत्र धर्मबीर निवासी गांव खाण्डा तहसील खरखौदा जिला सोनीपत ने मुलाकी होकर उक्त एक शिकायत व 01 लाल रंग का पैन ड्राईव, मार्का Sandisk Cruzer Blade 16 GB मुझे प्रस्तुत की, जिसमें शिकायतकर्ता के साथी कृष्ण व आरोपी के मध्य इस प्रकरण में रिश्वत की राशि के लेन-देन को लेकर हुई बातचीत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई पैन ड्राईव में उपलब्ध डेटा को ट्रांसक्रिप्शन तैयार किए जाने के लिए लैपटॉप में कॉपी करने उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे में पलन्दा में डालकर, उक्त पलन्दा पर SVB(H) की मोहर लगाई जाकर इस सम्बन्ध में बनाई गई सूचि के माध्यम से उक्त पलन्दा को साक्ष्य के रूप में पुलिस कब्जा में लिया गया है। बनाई गई सूचि पर सम्बन्धित गवाहों द्वारा अपने-2 हस्ताक्षर किए गए है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के मजबून से एवं आवाज रिकॉर्डिग को सुनने पर सरेदस्त सुरत जुर्म जेर धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 49 सन् 1988 के अन्तर्गत अपराध घटित होना पाया जाने पर यह लेख अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए मुख्य सिपाही सत्यवान सिंह न0 645/GRP के माध्यम से थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त पंजीकृत होने वाले अभियोग संख्या से सूचित किया जाए। अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त स्पेशल रिपोर्ट सम्बन्धित ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवाई जाए। मन निरीक्षक मय हमराहीयान के रैडिंग पार्टी गठित करके मुदई सुरेन्द्र व उसके साथी उपरोक्त को हमरा लेकर रवाना उपायुक्त कार्यालय झज्जर का होता हुँ। रैड से पहले उपायुक्त महोदय की अनुमति लेकर सभी औपचारीकताए पूरी कर ली जाएगी अजः-लघु सचिवालय झज्जर SD- हस्ता अंग्रेजी Rakesh Kumar निरीक्षक रा0चौ0ब्यूरो (ह0) रोहतक मण्डल रोहतक DT. 22.11.21 TIME – 16.40 PM अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 04 दिनॉक 22.11.2021 U/S 7 P.C.Act -1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब बहादुरगढ को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त मुख्य सिपाही सत्यवान सिंह न0 645/GRP की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से नि0 सुरेश कुमार की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** rakesh kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): psi **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

सुरेश कुमार

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): सुरेश कुमार

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 739/RPT

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):